



दिनांक 03.10.2026

प्रेस विज्ञापित 506 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मेरठ/थाना लोहियानगर

- पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 03.10.2026 को थाना लोहियानगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त फिरोज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोहियानगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फिरोज निवासी जाकिर कालोनी थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 55 लाख रुपये (कीमत) की लूटा गया कपड़ों से भरा कैंटर

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 03.10.2026 को थाना गढ़मुक्तेश्वर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पलवाड़ा रोड पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1—जावेद

घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अजीम 3—अमन 4—फरदीन 5—सुबहान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 लाख रुपये (कीमत) की लूटा गया कपड़ों से भरा कैंटर, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना गुढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कैंटर उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद के विरुद्ध जनपद सम्भल, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—जावेद निवासी ग्राम ओबरी थाना असमौली जनपद सम्भल हालपता—मोहल्ला उराला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।
- 2—अजीम निवासी ग्राम कुंदारकी थाना कुंदारकी जनपद मुरादाबाद।
- 3—अमन निवासी ग्राम कुंदारकी थाना कुंदारकी जनपद मुरादाबाद।
- 4—फरदीन निवासी ग्राम कुंदारकी थाना कुंदारकी जनपद मुरादाबाद।
- 5—सुबहान निवासी ग्राम कुंदारकी थाना कुंदारकी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

- 1—लगभग 55 लाख रुपये (कीमत) की लूटा गया कपड़ों से भरा कैंटर।
- 2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना मिर्जापुर

• 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- लगभग 01 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 492 ग्राम अवैध स्मैक

- 01 मोबाइल फोन आदि बरामद

दिनांक 03.10.2026 को थाना मिर्जापुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम आलमपुर से अभियुक्त मेहताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 492 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मेहताब निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 492 ग्राम अवैध स्मैक।

2—01 मोबाइल फोन आदि।

➤ जनपद मैनपुरी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 08 करोड़ 03 लाख 20 हजार रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद मैनपुरी पुलिस ने अभियुक्त अभिषेक सिंह पुत्र स्व० सुधीर निवासी फतेहजंगपुर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 08 करोड़ 03 लाख 20 हजार रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

➤ कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना दादरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/34 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1-ईनाम 2-बब्लू 3-आजाद को आजीवन कारावास व 75-75 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बस्ती/थाना मुण्डेरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना मुण्डेरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सन्तोष कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
